न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1436

1. पूर्णमल गुर्जर पुत्र भक्तावरा उर्फ भक्ताराम जाति गुर्जर, निवासी भोजमेड़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. धनसीराम गुर्जर पुत्र भक्तावरा उर्फ भक्ताराम जाति गुर्जर, निवासी भोजमेड़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
2. नागर गुर्जर पुत्र भक्तावरा उर्फ भक्ताराम जाति गुर्जर, निवासी भोजमेड़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।
3. लक्ष्मण गुर्जर पुत्र भक्तावरा उर्फ भक्ताराम जाति गुर्जर, निवासी भोजमेड़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।
4. सरकार जरिये उपतहसीलदार जी अजीतगढ, जिला–सीकर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर पत्रावली संख्या 35/2024 पूर्णमल बनाम धनसीराम निर्णय दिनांक 23.04.2025 जिसके तहत् उन्होने नामान्तकरण संख्या 332 दिनांक 03.07.2022 जो उप तहसीलदार अजीतगढ़ को कायम रखा गया।

उपस्थित :–

1. श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री रमेश कुमार सैनी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 15.04.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 23.04.2025 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष हाल अपीलांट ने न्यायालय उपतहसीलदार अजीतगढ, जिला नीमकाथाना हाल जिला सीकर द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 02.11.2021 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 332 ग्राम भोजमेड दिनांक 03.07.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी। अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2025 द्वारा हाल अपीलान्ट की अपील खारिज कर यह निर्णय पारित किया गया कि सह खातेदारान ने आपसी सहमति से हस्ताक्षर कर बंटवारानामा प्रस्ताव गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प उपतहसीलदार अजीतगढ को भरकर प्रस्तुत किया गया है। बंटवारानामें में सह खातेदारान को लगभग बराबर–बराबर भूमियां मिली हैं। उप तहसीलदार अजीतगढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक एलआर/कैम्प/21/22 दिनांक 02.11.2021 व उक्त आदेश के अनुसरण में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 332 दिनांक 03.07.2022 जो कि दिनांक 20.07.2022 ग्राम भोजमेड, पटवार हल्का चीपलाटा सांवलपुरा तंवरान, तहसील श्रीमाधोपुर को स्वीकृत किया गया, में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं, के आदेश पारित किये गये हैं।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के निर्णय दिनांक 23.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट पूर्णमल गुर्जर पुत्र भक्तावरा उर्फ भक्ताराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2025 व नामान्तरकरण संख्या 332 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस् का 1/4–1/4 भाग प्रत्येक का मौके के अनुसार कायम किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतीकूल होने से निरस्तनीय है। उक्त कब्जे कास्त खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा विभाजन कर लेने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किये जाने के परिणाम स्वरूप अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 3 द्वारा अपनी भूमियों का विधिवत विभाजन करवाने के क्रम में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत उपस्थित होकर अपनी भूमियों का विधिवत बंटवारा कर दिये जाने हेतु निवेदन किये जाने के परिणाम स्वरूप प्रश्नगत आदेश क्रमांक एल आर/केम्प/21/22 भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 0.10 हैक्टर चाही दोयम, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.16 हैक्टर चाही प्रथम, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.78 हैक्टर चाही 3, खसरा नम्बर 92 रकबा 1.03 हैक्टर बारानी 3, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.03 हैक्टर किशम बंजड़, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.02 हैक्टर बा. दोयम, भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 0.25 हैक्टर चाही दोयम, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.30 हैक्टर चाही दोयम, भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 0.01 हैक्टर बंजड, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.65 हैक्टर चाही प्रथम, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.05 हैक्टर चाही एकम, कुल किता 11 रकबा 3.57 हैक्टर भूमि का विभाजन निम्न प्रकार कर दिया गया जिसमें अपीलान्ट पूरण के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 89 की 0.78 हैक्टर भूमि, खसरा नम्बर 159/1 की 0.02 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 160 की 0.01 हैक्टर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 हैक्टर व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 धनसीराम के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 92/1 की 0.63 हैक्टर भूमि, खसरा नम्बर 162/1 की 0.38 हैक्टर भूमि व भूमि खसरा नम्बर 163 की 0.05 है0 भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 1.06 हैक्टर भूमि विधि विरूद्ध तरीके से अंकित कर दी गयी व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 नागर के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 82/2 की 0.40 हैक्टर भूमि, खसरा नम्बर 162/2 की 0.27 हैक्टर भूमि, खसरा नम्बर 159/3 की 0.14 हैक्टर भूमि किता 3 कुल रकबा 0.81 हैक्टर भूमि व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लक्ष्मण के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 49 की 0.10 हैक्टर भूमि, खसरा नम्बर 65 की 0.16 हैक्टर भूमि व भूमि खसरा नम्बर 158/2 की 0.41 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 159/2 की 14 हैक्टर भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 0.81 हैक्टर भूमि व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 156 में 0.02 हैक्टर व 158/1 में 0.03 हैक्टर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 हैक्टर भूमि का विभाजन कर दिया गया। जो कि किसी भी कदर प्रथम दृष्टया विधिवत विभाजन की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 को उपरोक्त भूमियों में हिस्से के अनुसार 0.81 है0 व भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 0.03, 156 रकबा 0.02, 158/1 रकबा 0.03 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 3 का 1/4 हिस्सा अर्थात् सभी के हिस्से में 0.83–0.83 हैक्टर भूमि में उक्त 1/4 हिस्से को जोडकर 0.85–0.85 भूमि विभक्त कर दी गयी व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हिस्से में 1.06 व भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 0.03, 156 रकबा 0.02, 158/1 रकबा 0.03 में 1/4 भूमि मिलाकर 1.08 हैक्टर भूमि उक्त प्रश्नगत आदेश के अनुसरण में विभाजित कर दी गयी इस कारण उपरोक्त आदेश क्रमांक एल.आर./कैम्प/21/22 किसी भी कदर विधिसम्मत नहीं हैं। इस आधार पर प्रश्नगत आदेश व नामान्तकरण के अनुसार 0.25 हैक्टर भूमि अर्थात् एक बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हिस्से में प्रश्नगत आदेश व

प्रति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रश्नगत नामान्तकरण के आधार पर कर दी गयी जो किसी भी कदर विधि सम्मत नहीं है और कानूनी दृष्टिकोण से किसी भी कदर उपयुक्त नहीं है। इसलिये भी प्रश्नगत आदेश व नामान्तकरण उपरोक्त तथ्यों के अनुसरण में किसी भी कदर विधि सम्मत नहीं है अर्थात् निरस्तनीय हैं। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने विचार न कर निर्णय देने में भूल की हैं।

भूमि खसरा नम्बर 158 में अपीलान्ट के रिहायसी मकानात बने हुए है जिसमें अपीलान्ट अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा हैं। जिसके सम्बन्ध में भी अपीलान्ट द्वारा वास्तवित स्थिति से अवगत करवा दिया गया था लेकिन उक्त खसरा नम्बर 158 के सम्बन्ध में प्रश्नगत विभाजन आदेश एल. आर./केम्प/21/22 में खसरा नम्बर 158 में बने मकानात के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विधिवत विभाजन नहीं किया गया। मात्र खसरा नम्बर 158/1 की 0.03 हैक्टर भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 3 के नाम से दर्ज कर दी गयी व भूमि खसरा नम्बर 158/2 की 0.41 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गयी जो किसी भी कदर विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसरण में भी प्रश्नगत आदेश किसी भी कदर स्थिर रहने योग्य नहीं है अर्थात निरस्तनीय है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर न कर निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की हैं। इसी अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की उपरोक्त भूमियों में एक बोरिंग काफी अर्सा पूर्व से लगी हुई है जिसमें विद्युत कनेक्शन भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 3 के शामिल का लगा हुआ है जिसका उपयोग–उपभोग अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट शामिल करते आ रहे है व इसमें आने जाने हेतु रास्ते को भी उपरोक्त प्रश्नगत आदेश से पृथक से विभक्त नहीं किया गया जिसके सम्बन्ध में भी प्रश्नगत आदेश व नामान्तकरण में किसी भी प्रकार का विधिवत विभाजन नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में भी प्रश्नगत आदेश व नामान्तकरण किसी भी कदर स्थिर रहने योग्य नहीं है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विचार न कर निर्णय देने में भूल की हैं।

अपील हाजा में वर्णित मद संख्या 1 में वर्णित भूमियों में से खसरा नम्बर 160 में से प्रार्थी अपीलान्ट को एक एयर भूमि व खसरा नम्बर 159 में से दो एयर भूमि प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में प्रश्नगत आदेश व नामान्तकरण के आधार पर दी गयी है जबकि उक्त दोनों भूमियों के मध्य भी काफी अन्तर है व खसरा नम्बर 89 में बाकी समस्त भूमि 78 एयर प्रार्थी के पक्ष में प्रश्नगत आदेश व नामान्तकरण के आधार पर कर दी जो भी वास्तविकता के कतई विपरीत हैं। उपरोक्त तथ्यों के अनुसरण में प्रश्नगत आदेश किसी भी कदर विधि सम्मत नहीं है और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर खोला गया प्रश्नगत आदेश व नामान्तकरण किसी भी कदर स्थिर रहने योग्य नहीं है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर न कर निर्णय देने में भूल की हैं। राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु चलाये गये प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान पटवार हल्का चीपलाटा (भोजमेड) ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 ता 3 से सम्पर्क किया और मौके की वास्तविकता के काबिज अनुसार मद संख्या 1 में वर्णित भूमियों का सहमति से बंटवारा करवा लेने हेतु अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 ने 3 से निवेदन किया जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 3 ने मौके पर काबिज अनुसार व सम्पूर्ण भूमि का 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 बराबर–बराबर हिस्सा करने हेतु निवेदन स्वीकार कर अपनी सहमति हेतु पटवारी हल्का द्वारा दिये गये खाली सहमति बंटवारे के फार्म व अन्य खाली कागजात पर हस्ताक्षर कर दे दिये गये। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि समस्त खातेदारी का मौके अनुसार 1/4, 1/4 बराबर–बराबर हिस्सा कर बंटवारा कर दिया जावेगा। उपरोक्त तथ्यों के अनुसरण में प्रश्नगत आदेश व नामान्तकरण में हिस्सा बराबर–बराबर अंकित नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में भी प्रश्नगत आदेश व नामान्तकरण विधि सम्मत नहीं है अर्थात् निरस्तनीय है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर न कर निर्णय देने में भूल की हैं।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 3 ने मौके पर बाहमी विभाजन कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है व आज भी इसी

अनुसार काबिज है जिसके अनुसार विधिवत विभाजन किये जाने हेतु भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण स्थिति में अभियान प्रशासन गांवों के संग सम्पूर्ण स्थिति को अवगत करवा दिया गया था जिसके मुताबिक भी विभाजन आदेश कतई विपरीत तथ्यों का अंकन करते हुए दर्ज कर दिया गया इसलिए भी प्रश्नगत आदेश व नामान्तरण किसी भी कदर स्थिर रहने योग्य नहीं है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर न कर निर्णय देने में भूल की हैं। पूर्व वर्णित सजरा खानदानी के मुताबिक प्रश्नगत भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 3 का 1/4–1/4 विवादित भूमि मुन्दर्जा मद नम्बर 1 अपील में चला आ रहा था और पक्षकारान् जो कि एक ही परिवार के है के मध्य विभाजन को लेकर कोई भी विवाद किसी भी किस्म का नहीं था इसी वजह से प्रशासन गांवों की और के अभियान में विभाजन हेतु पटवारी हल्का द्वारा कहने पर और मौके पर प्रश्नगत जमीन के महत्वपूर्ण हिस्से को ध्यान में रखकर सही तौर पर चारों भागों में विभक्त करने का ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अभियान में विभाजन करवा देने के तथ्य को स्पष्ट करते हुए ही किया जाना पाया गया था लेकिन प्रश्नगत आदेश व नामान्तकरण के अनुसार भूमि बराबर–बराबर विभक्त नहीं की गई इसलिये भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय हैं। विभाजन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि कॉलम नम्बर 3 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान् का 1/4 भाग दर्शाया है व विभाजन में ओवर राईटिंग में रेस्पोडेन्ट धनसीराम को अधिक भूमि दी गई व अपीलान्ट को .78 है0 भूमि बारानी जो खसरा नम्बर 89 में व 0.02 हैक्टर चाही 2 खसरा नम्बर 159/1 में व 001 है० बंजड़ भूमि दी गई है इसी प्रकार अन्य रेस्पोडेन्टान् को चाही भूमि अधिक दी गई है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई गौर न कर निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की हैं। निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमों के प्रतीकूल होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 135 के प्रावधानों व उन पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल निर्णय देने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की हैं। प्रस्तुत अपील नामान्तकरण संख्या 332 के विरूद्ध है जिसकी सुनवाई के अधिकार श्रीमान् जी में निहित हैं। अपील नामान्तकरण संख्या 332 के विरूद्ध है एवं आदेश उपतहसीलदार जी अजीतगढ़ के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी याचिका प्रस्तुत की जावेगी। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 23.04.2025 व नामान्तकरण संख्या 332 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान् का 1/4–1/4 भाग प्रत्येक का मौके के अनुसार कायम किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि सम्पूर्ण खातेदारान की उपस्थिति में हस्ताक्षर करवाकर बंटवारा आपसी सहमति से किया गया है, जो विधि संगत है। प्रशाासन गांवों के संग अभियान सन् 2021 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्टस् द्वारा उक्त अपील बदनियति से पेश की गई है। बंटवारानामें पर अपीलान्ट द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। बंटवारे में मिली भूमियों के अनुसार मकानात आदि बनाये गये है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर का निर्णय दिनांक 23.04.2025 को यथावत रखा जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना हाल जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के समक्ष हाल अपीलान्ट ने न्यायालय उपतहसीलदार अजीतगढ, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 02.11.2021 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 332 ग्राम भोजमेड दिनांक 03.07.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी। वर्णित भूमियों का बंटवारा उप तहसीलदार अजीतगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2021 प्रशासन गांवों के संग अभियान सन् 2021 में किया गया है। बंटवारानामें में पक्षकारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये गये हैं। अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 245 व 247 कुल रकबा 3.92 हैक्टेयर में से 0.95 हैक्टेयर, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 0.96 हैक्टेयर, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को 0.95 हैक्टेयर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को 0.95 हैक्टेयर का विभाजन आदेश किया गया, जो लगभग बराबर है। पैतृक भूमियों के आपसी सहमंति से हुए विभाजन में भूमि को सह खातेदारों को बंटवारे में भूमि कम ज्यादा की जा सकती है। प्रकरण में सभी सह खातेदारान सगे भाई है। सह खातेदारान ने आपसी सहमति से हस्ताक्षर कर बंटवारानामा प्रस्ताव गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प में उप तहसीलदार अजीतगढ को भरकर प्रस्तुत किया गया है। बंटवारानामें में सह खातेदारान को लगभग बराबर–बराबर भूमियां मिली हैं।

उप तहसीलदार अजीतगढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक एलआर/कैम्प/21/24 दिनांक 02.11.2021 व उक्त आदेश के अनुसरण में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 332 दिनांक 03.07.2022 जो कि दिनांक 20.07.2022 ग्राम भोजमेड़ पटवार हल्का चीपलाटा सांवलपुरा तंवरान, तहसील श्रीमाधोपुर को स्वीकृत किया गया है के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2025 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की गयी है। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। न्यायालय उपतहसीलदार अजीतगढ के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत कृषि भूमि का सह खातेदारों के बीच आपसी सहमती से विभाजन कराने, विभाजन आदेश दिनांक 02.11.2021 से भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पूर्णमल गुर्जर के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ द्वारा धारा 53 के तहत किये गये सहमति के विभाजन आदेश दिनांक 02.11.2021 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना हाल जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2025 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2025 को यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ द्वारा धारा 53 के तहत किये गये सहमति के विभाजन आदेश दिनांक 02.11.2021 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति० संभागीय आयुक्त
आति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर